
13.12.17

आज आवेदक/आरोपी जयकुमार उर्फ जैकी की ओर से अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव ने आवेदन पेश कर व्यक्त किया गया कि प्र0क0 525/11 इ.फी. शा0पु0मी विरुद्ध जयकुमार उर्फ जैकी अंतर्गत धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 24.10.17 के पालन में न्यायालय में संचालित एम.जे.सी. कमांक 145/17 में निर्णयानुसार धारा 25(1-बी)ए आयुध अधिनियम के अंतर्गत दो हजार रूपये एवं धारा 403 भादस के अंतर्गत एक हजार रूपये कुल तीन हजार रूपये आज दिनांक को जमा किए जाने का निवेदन किया गया है। न्यायहित में आवेदन स्वीकार किया गया। मूल प्रकरण अभिलेखागार गोहद से तलब किया जावे।

प्रकरण मूल अभिलेख प्राप्ति हेतु कुछ देर पश्चात

पेश हो।



GRPG-106-Forms-10-7-17-4,00,000 Forms.

## Order Sheet [Contd]

	Case No	
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

पुनश्चः

अभिलेखागार गोहद से मूल अभिलेख प्राप्त।

मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया।

आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया

गया। न्यायहित में आवेदन में स्वीकार करते हुए आवेद/आरोपी

जयकुमार उर्फ जैकी को अर्थदण्ड राशि जमा किए जाने हेतु

निर्देशित किया गया।

आदेश की प्रति मूल प्रकरण में संलग्न की जाकर मूल अभिलेख पुनः दाखिल अभिलेखागार किया जावे।

एम.जे.सी. में कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः एम.जे.सी. प्रकरण समाप्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल अभिलेखगार किया जावे।

> प्राचित्वा जिल्ला जपमाएफसी, सोहदेण न्याधिक जिला- विवड (म प